HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1447/2026
CNR: RJHC020724702026 | URN: CRLR / 2634U / 2026

Manish Gadodiya S/o Shri Ramesh Gadodiya, Aged About 45 Years, Resident Of Ward No. 15, Mandawa, Distt. Jhunjhunu (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Devkrishna Purohit, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

30/10/2026

यह एकलपीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याची **मनीष गाडोदिया पुत्र रमेश गाडोदिया** की ओर से धारा **438 सपठित धारा 442 बीएनएसएस** के अंतर्गत विद्वान् न्यायालय **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुंझुनू** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **01/2026** में पारित आदेश दिनांक **02.07.2026** व **13.07.2026** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से संबंधित न्यायायल द्वारा याची के विरुद्ध धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. के अपराध में आरोप विरचित करने के आदेश दिए गए थे।

विद्वान् अधिवक्ता याची का कथन है कि प्रथमदृष्ट्या अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी कि याची ने वर्ष 1996–97 में नगर पालिका मंडवा में कार्यरत होते हुए एक डामर की सड़क मुख्य बाजार से मुकन्दगढ़ सड़क तक तीन टुकड़ों में बनाई और तदुपरांत उक्त तीनों कार्यों की अलग–अलग तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई तथा अलग–अलग टेंडर आमंत्रित किए व दुराशय से उक्त सड़क के कार्य के ठेके न्यूनतम दर के ठेकेदार फूलचंद सैनी की शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रदत्त कर दिए तथा इस प्रकार के भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं थे कि याची ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर उक्त सड़कों के निर्माण कार्य के संदर्भ में फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाए और उनमें लेन–देन किया तथा क्रमशः 48,659/– रुपये,

Digitally signed by
MOHIT KUMAR
Date: 2026.10.31
12:24:58 IST

53,635/– रुपये एवं 67,500/– रुपये का भुगतान जरिए चैक मनीष गाडोदिया को किया गया। अतः ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश यथावत रखने योग्य नहीं है। अतः याची को उपरोक्त आरोप में उन्मोचित किया जाए तथा संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा याचिका का विरोध किया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह सुस्थापित विधि है कि आरोप विरचना के प्रक्रम पर न्यायालय प्रथमदृष्ट्या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन कर आरोप विरचित करता है तथा इसके लिए न्यायालय को साक्ष्य के संदर्भ में उसके गुणावगुणों पर टिप्पणी करने या उसको उक्त प्रक्रम पर मूल्यांकित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में याची के विरुद्ध यह आक्षेप हैं कि उसने नगर पालिका मंडावा की तरफ से किए जा रहे सड़क कार्य हेतु बतौर ठेकेदार के रूप में कार्य करते हुए कस्बा मंडावा में मुख्य बाजार से मुकन्दगढ़ सड़क तक तीन टुकड़ों में बनाई गई सड़क निर्माण के कार्य से अधिक राशि का भुगतान प्राप्त किया व बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के डब्ल्यूबीएम का कार्य करना दर्शाकर 34,654/– रुपये आपराधिक षड़यंत्र के अनुसरण में अवैध व भ्रष्ट तरीके से प्राप्त किए। इसी प्रकार याची के संदर्भ में यह तथ्य भी अभिलेख पर आया है कि उसने मंडावा में स्वीकृत डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य के लिए बिलों पर फूलचंद सैनी के हस्ताक्षर स्वयं कर दिए तथा भुगतान प्राप्त करने की वांछा हेतु उक्त बिलों में कूटरचना कारित की।

संबंधित न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भ में उपलब्ध सामग्री का विवेचन करने के उपरांत याची को उपरोक्त धारा में आरोपित करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने के कोई न्यायसंगत व न्यायोचित आधार नहीं हैं।

परिणामस्वरूप याची द्वारा प्रस्तुत उक्त एकलपीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं याचिका से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, उक्त याचिका के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ D-A 23